



प्रेस नोट- थाना मिर्जापुर
जनपद शाहजहाँपुर
दिनांक- 10.08.2026



थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 तस्करों को 15 कि0 47 ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ डोडा व 48000 रु0/- नगद आदि सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम, मादक पदार्थ की तस्करी, चोरी-लूट-अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण व अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 09.08.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 1. सुलखखन सिंह पुत्र हंसराज 2. मानसिंह पुत्र बलकार सिंह, नि0गण बाजीगर बस्ती, थाना बनूढ, जनपद पटियाला, पंजाब (हाल नि0 जनपद मोहाली) 3. द्रगपाल पुत्र छोटे सिंह नि0 ग्राम बहरिया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम कुनिया शाहनजीरपुर बाजार के पास से समय करीब 22.49 बजे 15 किलो 47 ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (डोडा) व 03 अदद मोबाइल फोन (02 अदद एन्ड्रॉयड व 01 अदद कीपैड फोन) व 48000 रु0/- नगद सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 175/26 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का विवरण-

1. सुलखखन सिंह पुत्र हंसराज, उम्र करीब 37 वर्ष, नि0 बाजीगर बस्ती, थाना बनूढ, जनपद पटियाला, पंजाब (हाल नि0 जनपद मोहाली) ।
2. मानसिंह पुत्र बलकार सिंह उम्र करीब 22 वर्ष, नि0 बाजीगर बस्ती, थाना बनूढ, जनपद पटियाला, पंजाब (हाल नि0 जनपद मोहाली) ।
3. द्रगपाल पुत्र छोटे सिंह, उम्र करीब 60 वर्ष, नि0 ग्राम बहरिया, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 175/26 धारा 8/15 NDPS ACT, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण -

एक काले रंग के सफेद धारीदार हाथ में लटकाने वाले बैग में अवैध 9.992 कि.ग्रा. डोडा व एक काले रंग के पिड्डू बैग में अवैध 5.082 कि.ग्रा. डोडा (कुल-15.074 किग्रा मय बैग) व अभियुक्तगण से बरामद कुल 48000 रुपये व 03 अदद मोबाइल फोन (2 अदद एन्ड्रॉयड व 1 अदद कीपैड फोन)

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

मु0अ0सं0- 088/2012 धारा 323/342/363/366/376 भादवि बनाम द्रगपाल उपरोक्त थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान का विवरण:-

दिनांक-09.08.2026, समय करीब 22.49 बजे, ग्राम कुनिया शाहनजीरपुर बाजार के पास,

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगण 1. सुलखखन व मानसिंह उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम लोग पंजाब से डोडा लेने द्रगपाल के पास आये थे। हम लोग द्रगपाल से डोडा खरीद कर ले जाने वाले ही थे कि तभी आपने हम लोगों को पकड़ लिया। जो पैसे हमसे बरामद हुए हैं, हम उन पैसे को द्रगपाल को देने वाले थे। जिस पर द्रगपाल ने बताया कि यह डोडा जिससे खरीदते हैं वह अपना नाम पता नहीं बताते हैं। डोडा बेचने से जो मुनाफा मिलता है उससे हम लोग अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

थानाध्यक्ष मनोज कुमार, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।

उ०नि० बन्टी कुमार, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।

हे०का० मो० ईस्माइल थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।

हे०का० धर्मेन्द्र सिंह, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।

का० आकाश पुण्डीर, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।